बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

अधिसूचना

अधि0सं0: यो04 / एम0पी0लैड्स 4 / 2014–5438 / यो0वि0, दिनांक 24 नवम्बर,2014

विषय: **योजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन हेतु बिहार लोक निर्माण संहिता के नियम 159'क' में अतिरिक्त उपकंडिका–(iii) के प्रावधान को सम्मिलित किये जाने से संबंधित दिशा–निर्देश में संशोधन के संबंध में।**

योजना एवं विकास विभाग के नियंत्रणाधीन गठित स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के द्वारा कार्यान्वित सभी योजनाओं का कार्यान्वयन लोक निर्माण संहिता के प्रावधानों के आलोक में विभागीय रूप से कराये जाने की व्यवस्था योजना एवं विकास विभाग की अधिसूचना संख्या–912, दिनांक–4 मार्च, 2014 द्वारा निरूपित है।

2. पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या–1007, दिनांक 07.02.2014 के द्वारा सरकार के द्वारा लोक निर्माण संहिता के नियम 159 'क' में अतिरिक्त उप कण्डिका (iii) का प्रावधान किया गया था जिसके अंतर्गत "7,50,000 / –(सात लाख पचास हजार) रूपये मात्र से कम राशि की योजनाएँ जिनका कार्यान्वयन योजना एवं विकास विभाग के अधीन गठित स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन द्वारा किया जा रहा है, को विभागीय रूप से भी कराये जान का उपबन्ध किया गया।

3. योजनाओं के कार्यान्वयन के समीक्षा के क्रम में महसूस किया गया कि पथ निर्माण विभाग के संकल्प ज्ञापांक–1007, दिनांक–07.02.2014 द्वारा बिहार लोक निर्माण संहिता के नियम 159'क' की उपकंडिका–iii में किये गये प्रावधान से विभागीय रूप से कार्य कराने के उद्देश्य की शत–प्रतिशत प्रतिपूर्ति नहीं हो पा रही थी। अतः सम्यक विचारोपरान्त पथ निर्माण विभाग के संकल्प संख्या–5255, दिनांक 23.06.2014 बिहार लोक निर्माण संहिता के नियम 159'क' की उपकंडिका–iii में विभागीय रूप से भी कराये जाने वाले योजनाओं के लागत को 7,50,000 रूपये से बढ़ाकर 15,000,00 / – रूपये कर दिया गया है।

4. साथ ही बिहार लोक निर्माण लेखा संहिता के नियम 96 के तहत अवर प्रमण्डल पदाधिकारी (सहायक अभियंता) के पास 1000 / – (एक हजार) रूपये स्थायी अग्रिम रखे जाने का प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर प्रत्येक सहायक अभियंता के आधार पर 5,00,000 / –(पाँच लाख) रूपये के दर एवं चक्रीय निधि के रूप में रखे जाने का प्रावधान किया गया है।

5. राज्य सरकार के उपर्युक्त निर्णय के आलोक में 15.00 (पन्द्रह) लाख रूपये मात्र से कम लागत की योजनाओं का कार्यान्वयन विभागीय रूप से भी कराने हेतु निम्नांकित संशोधन किया जाता है :–

(क) योजना एवं विकास विभाग की अधिसूचना संख्या -912, दिनांक 04.03.2014 की कंडिका–2 को निम्नरूपेण प्रतिस्थापित किया जाता है :–

"15.00 लाख रूपये से कम राशि की योजनाएँ जिनका कार्यान्वयन योजना एवं विकास विभाग के अधीन गठित स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन द्वारा किया जा रहा है, को विभागीय रूप से भी कराया जा सकता है। विभागीय स्तर पर कार्य कराने हेतु सामग्रियों की आपूर्ति स्थानीय स्तर पर कोटेशन के माध्यम से तथा मजदूरी का भुगतान उपस्थिति नामावली (मस्टर रौल) (PWA Form No-21) के माध्यम से किया जायेगा।"

(ख) विभागीय उक्त अधिसूचना की कंडिका–3 में "7.50 लाख (सात लाख पचास हजार) रूपये मात्र से कम लागत" को "15.00 लाख (पन्द्रह लाख) रूपये मात्र से कम लागत" की योजनाओं से प्रतिस्थापित किया जाता है।

(ग) विभागीय अधिसूचना की कंडिका संख्या 3–ग (i) के आगे "स्कीमवार अग्रिम देने की व्यवस्था नहीं रहेगी" को प्रतिस्थापित करते हुए निम्नांकित प्रावधान शामिल किया जायेगा :–

सहायक अभियंता को दी गयी चक्रीय निधि से सहायक अभियंता कनीय अभियंताओं को संचालन अग्रिम (Mobilization Advance) निम्नरूपेण उपलब्ध करायेंगे:–

(i) 5.00 लाख रूपये तक की लागत की योजनाओं के लिए 10,000/– (दस हजार रूपये), 5.00 लाख रूपये से उपर लागत तक की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 20,000/– (बीस हजार रूपये) संचालन अग्रिम (Mobilization Advance) के रूप में कनीय अभियंता को दिया जायेगा।

(ii) स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के अंतर्गत अधिकांश कनीय अभियंता संविदा नियोजित हैं, जिनका चयन जल संसाधन विभाग द्वारा संविदा पर किया गया है। संविदा पर नियोजित होने के कारण इन संविदा नियोजित कनीय अभियंताओं से वित्तीय लेन–देन की मनाही है। चूँकि कनीय अभियंता योजना के स्थल प्रभारी अभियंता होते हैं अतः ऐसी स्थिति मे संविदा नियोजित कनीय अभियंताओं को भी संचालन अग्रिम (Mobilization Advance) की राशि प्राप्त करने की शक्ति प्रदान की जाती है।

(iii) कनीय अभियंता को दी गयी संचालन अग्रिम राशि कराये गये कार्य के साथ समायोजित होती रहेगी। अर्थात् जब तक प्रथम अग्रिम का समायोजन पूर्ण नहीं हो जाता है, कनीय अभियंता को अगली किस्त अग्रिम की राशि नहीं दी जायेगी।

(iv) सहायक अभियंता के द्वारा कनीय अभियंता को दी जाने वाली संचालन अग्रिम (Mobilization Advance) की कुल राशि स्थायी अग्रिम एवं चक्रीय निधि की अधिसीमा 5.00 (पाँच) लाख रूपये से अधिक नहीं होगी।

(v) संविदा पर कार्यरत कनीय अभियंता अनुबंध की शर्त्तो से बंधे होते है। अतः ऐसी स्थिति में संविदा पर नियुक्त कनीय अभियंता यदि संचालन अग्रिम समायोजित कराये बिना विभाग से कार्यमुक्त होते है अथवा सेवा परित्याग कर देते है तो वैसी स्थिति में सरकारी राशि की वसूली हेतु उनके विरूद्ध नीलाम पत्र वाद दायर कर राशि की वसूली की जा सकेगी। संबंधित सहायक अभियंता जिनके अधीन संविदा

पर नियुक्त कनीय अभियंता कार्यरत होगे, उनका भी यह दायित्व होगा कि वे प्रत्येक माह संचालन अग्रिम के समायोजन प्रक्रिया का गहन अनुश्रवण करेंगे एवं कनीय अभियंता के सेवा से विमुक्ति के पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि अग्रिम राशि असमायोजित न रह जाय।

6. योजना एवं विकास विभाग की अधिसूचना संख्या–912, दिनांक–4 मार्च, 2014 की शेष कण्डिकाएँ यथावत रहेंगे।

यह दिशा–निर्देश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

24/11/2014

(पंकज कुमार)
सरकार के सचिव

ज्ञापांकः यो04/एम0पी0लैड्स 4/2014–5438 /यो0वि0, दिनांक 24 नवम्बर,2014

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/11/2014
सरकार के सचिव

ज्ञापांकः यो04/एम0पी0लैड्स 4/2014–5438 /यो0वि0, दिनांक 24 नवम्बर,2014

प्रतिलिपि : सभी प्रधान सचिव/सचिव, बिहार/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी/सभी क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी/ सभी जिला योजना पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/11/2014
सरकार के सचिव

ज्ञापांकः यो04/एम0पी0लैड्स 4/2014–5438 /यो0वि0, दिनांक 24 नवम्बर,2014

प्रतिलिपि : मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, विश्वेश्वरैया भवन, पटना/सभी अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/11/2014
सरकार के सचिव

ज्ञापांकः यो04/एम0पी0लैड्स 4/2014–5438 /यो0वि0, दिनांक 24 नवम्बर,2014

प्रतिलिपि : सभी कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इसकी प्रति अपने अधीनस्थ सभी सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

24/11/2014
सरकार के सचिव

ज्ञापांकः यो04 / एम0पी0लैड्स 4 / 2014–5438 / यो0वि0, दिनांक 24 नवम्बर, 2014

प्रतिलिपि : मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण को सूचनार्थ प्रेषित।

24/xi/2014
सरकार के सचिव

ज्ञापांकः यो04 / एम0पी0लैड्स 4 / 2014–5438 / यो0वि0, दिनांक 24 नवम्बर, 2014

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव / सचिव, योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/xi/2014
सरकार के सचिव

ज्ञापांकः यो04 / एम0पी0लैड्स 4 / 2014–5438 / यो0वि0, दिनांक 24 नवम्बर, 2014

प्रतिलिपि : सभी माननीय विधान मंडल सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित।

24/xi/2014
सरकार के सचिव